न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी नन्द किशोर राजोरा)

आर.ए.एस

प्रकरण सं./वाद पत्र/एल.आर./08/2019

1. सोनी पत्नि स्व. श्री भैरू
2. हरि पुत्र श्री हजारी जातिगण गुर्जर निवासीगण प्रतापपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील अपीलाण्ट श्री महावीर गुर्जर

निर्णय दिनांक 31.01.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा प्रतापपुरा के खसरा नं. 189 रकबा 0.07, 340 रकबा 0.01, 341 रकबा 0.03, 342 रकबा 0.04, 343 रकबा 0.04, 339 रकबा 0.10, 343/564 रकबा 0.04 केता 7 रकबा 0.33 हैं0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थना पैरोकार सरकार ने मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम प्रतापपुरा संवत् 2069–72 कथन किए कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की गैरखातेदारी में दर्ज भूमियां हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होना ठहराया। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की गैर खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का समुचित होना नहीं पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम में आनुतोष योग्य न होने से अस्वीकार किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भिनाय जिला अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.24 17:23:15 IST
Reason: SelfAttested